संख्या–57/जी0एस0/शिक्षा/A4-130/2014

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 4 अप्रैल, 2014

महोदय,

आपके पत्र संख्या–13417/सम्बद्धता (बी0एड0)/2012–13 दिनांक 04.09.2012 एंव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–73/12 (914/XLI-1/12) की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम/कुलाधिपति द्वारा संस्थान के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित रहने एवं स्थानीय स्तर पर ही छात्रों को बी0एड0 पाठयक्रम में प्रवेश की सुविधा के दृष्टिगत् सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (यथा संशोधित 2009) के अध्याय–5 की धारा–24 (2) के अधीन पी0आई0टी0एस0 कालेज नैताला, भटवाडी जिला उत्तरकाशी को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :–

क्र.स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	पी0आई0टी0एस0 बी0एड0 कालेज, नैताला जिला उत्तरकाशी।	बी0एड0	100 सीट	शैक्षणिक सत्र 2012–13 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।

1. संस्थान द्वारा अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. निर्धारित मानकों की पूर्ति की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थान में मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव शासन का उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था/विश्वविद्यालय से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्रमशः–.....

6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टाफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी प्रकार का पाठयक्रम संचालित होने के दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी; जिसमें संचालित पाठ्यकम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
9. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
10. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नही किया जाता है तो उक्त वर्षो में उसकी सीटें उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
11. संस्थान के कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों का वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नही पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठयक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
12. संस्था द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
13. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नही? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नही की जायेगी।

भवदीय,

ह0/

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 57 (1)/जी0एस0/ A4-130/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 20/198, कावेरीपथ, निकट मानसरोवर स्टेडियम, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)
3– निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
4– प्राचार्य, पी0आई0टी0एस0 बी0एड0 कालेज, नैताला, भटवाडी जिला उत्तरकाशी।
5– तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु ।
6– कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(घनश्याम शर्मा)
कुलाधिपति के अनु0 सचिव।